

कबीरधाम पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

“ढाबा संचालकों ,अपना ढाबा ,पंजाबी ढाबा, रानीसागर ढाबा के खिलाफ कार्यावाही“

दिनांक 10.06.2020

थाना कोतवाली

विवरण इस प्रकार से है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री के० एल० ध्रुव के निर्देशन एवं अति० पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी तथा उप पुलिस अधीक्षक अजाक / काईम श्री बी.आर.मंडावी के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09/06/2020 को नेशनल हाईवे मे अपना ढाबा का संचालक भुवनेश्वर तिवारी पिता सुखचैन प्रसाद तिवारी उम्र 37 साल सा.करपात्री पारा वार्ड क 19 कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम एवं पंजाबी ढाबा के संचालक मोनू सिंह ठाकुर पिता राजकुमार सिंह ठाकुर उम्र 24 साल साकिन कबीरपारा वार्ड नं 15 एवं रानी सागर ढाबा के संचालक टीटू बाधवा पिता मोतासिंह बाधवा उम्र 42 साल साकिन रानीसागर कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम को अपने अपने ढाबों में शासन के आदेश का अवहेलना करते हुए लोगो को खाना खिला रहे थे जिससे वर्ममान में चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की पूर्ण संभावना होने के कारण तीनों संचालको के खिलाफ पृथक पृथक से क्रमशः अपराध कमांक 247/2020 एवं 248/2020 व 249/2020 धारा 188/269/270 भादवि कायम कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया इस कार्यावाही में कोतवाली थाना टीम का बेहतर योगदान रहा।

थाना कोतवाली
कवर्धा

